कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :शिविरा / मा. / पीएसपी–सी / अ–2 / 60567 / केमाशिबो / 2018–19 दिनांक :– 04-01-19

(1) सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ,
शिक्षा केंन्द्र–2 सामुदायिक केन्द्र
प्रीत विहार, दिल्ली–1100092

विषय :– सत्र : 2018–19 हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में विद्यालय के नाम में आंशिक संशोधन करने के सम्बन्ध में ।

प्रसंगः– पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रांक शिविरा / मा. / पीएसपी–सी / अ–2 / 60567 / केमाशिबो / 2018–19 दिनांक 30.06.2018 के क्रम में।

महोदय,

राज्य सरकार के पत्रांक प.14(8)शिक्षा–1 / 2009 पार्ट–4 जयपुर दिनांक 22.07.2015 की पालना में जारी समसंख्यक संशोधित स्वीकृति दिनांक 05.08.2015 के क्रम में 36 गैर सरकारी विधालयों को उनके नाम के सम्मुख सत्र के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली सें संम्बद्धता प्राप्ति हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। आदेश में कम संख्या 04 पर राधाकृष्ण पब्लिक स्कूल केन्द्रीय विद्यालय के सामने, ठींगला, सवाईमाधोपुर को सीबीएसई. सत्र 2016–17 हेतु अंग्रेजी माधम में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सवाईमाधोपुर द्वारा प्रेषित अनुशंषा एवं विद्यालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर विद्यालय का नाम राधाकृष्णन पब्लिक स्कूल केन्द्रीय विद्यालय के सामने, ठींगला, सवाईमाधोपुर सही अंकित किया जाना है अतः विद्यालय के नाम में तदनुसार **राधाकृष्ण पब्लिक स्कूल** केन्द्रीय विद्यालय के सामने, ठींगला, सवाईमाधोपुर **के स्थान पर राधाकृष्णन पब्लिक स्कूल** केन्द्रीय विद्यालय के सामने, ठींगला, सवाईमाधोपुर संशोधन अंकित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. उपशासन सचिव–प्रथम शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान, बीकानेर।
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सवाईमाधोपुर
6. संबंधित विद्यालय राधाकृष्णन पब्लिक स्कूल केन्द्रीय विद्यालय के सामने, ठींगला, सवाईमाधोपुर।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:आदेश:—

इस कार्यालय के पूर्व आदेश शिविरा–मा/पीएसपी–सी/अ–2/60566/2018–19 दिनांक 20.09.18 से गैर सरकारी विद्यालय सागर पब्लिक स्कूल नईं धनारी सिरोही आवेदन संख्या 23971 को उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने हेतु हिन्दी माध्यम में अनुमोदन किया गया था। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा सिरोही से प्राप्त अनुशंषा एवं विद्यालय के उच्च प्राथमिक स्तर पर जारी मान्यता आदेश एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए विद्यालय को पूर्व में स्वीकृत माध्यम हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी अंकित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शेष शर्तें यथावत रहेगी।

Sd.
उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।

क्रमांक : शिविरा–मा/पीएसपी–सी/अ–2/60566/संशोधन/2018–19 दिनांक :– 04-01-19

प्रतिलिपिः–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1 सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
2 सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
3 उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग भरतपुर।
4 जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा–सिरोही।
5. सचिव गैर सरकारी शिक्षण संस्था सागर पब्लिक स्कूल नईं धनारी सिरोही

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।